मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-५, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

क्रमांक /स्था/प्रनिबो/2015 भोपाल,दिनांक

-: कार्यालय आदेश :-

बोर्ड के आदेश क्रमांक 2321/स्था./प्रनिबो/2014 भोपाल दिनांक 14/10/2014 के अनुक्रम में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अल्प प्रदूषणकारी प्रकृति के 544 प्रकार के लघु श्रेणी उद्योगो को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम,1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम,1981 में निहित प्रावधानों के तहत् सहमति प्राप्त करने बावत् निरीक्षण की अनिवार्यता समाप्त की जाती है । इस प्रकार के उद्योगो के द्वारा स्वयं प्रमाणित दस्तावेज (Self Certification of Documents) मान्य किये जावेगे तथा उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को संज्ञान में लेते हुये 03 दिनों में अभिस्वीकृति प्रदान की जावेगी ।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ0क्रमांक 861 /स्था/प्रनिबो/2015 भोपाल,दिनांक 20 APR 2015

प्रतिलिपि :-

1 प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर दिनांक 09/04/2015 को मुख्यमंत्री कार्यालय में **Ease of Doing Businss** के अन्तर्गत हुई समीक्षा बैठक के परिपालन में कृपया सूचनार्थ ।

2 निज सचिव, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

3 समस्त शाखा प्रभारी, ... म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ ।

4 समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/उपक्षेत्रीय अधिकारी/एकल खिड़की प्रभारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ...की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ ।

5 आईटी शाखा/गार्ड फाईल ।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-५, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

क्रमांक /स्था/प्रनिबो/2015 भोपाल,दिनांक

-: कार्यालय आदेश :-

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ग्रीन (हरी) श्रेणी उद्योगो को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम,1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम,1981 के अन्तर्गत सम्मति/नवीनीकरण प्राप्त करने समय ही निरीक्षण किया जावेगा तथा इस प्रकार के प्रकरणों में नियमित निरीक्षण (Routine Inspection) वर्ष में एकबार की अनिवार्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है ।

/

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ0क्रमांक 863 /स्था/प्रनिबो/2015 भोपाल,दिनांक 10 APR 2015

प्रतिलिपि :-

1 प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर दिनांक 09/04/2015 को मुख्यमंत्री कार्यालय में **Ease of Doing Businss** के अन्तर्गत हुई समीक्षा बैठक के परिपालन में कृपया सूचनार्थ ।

2 निज सचिव, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

3 समस्त शाखा प्रभारी, ... म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ ।

4 समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/उपक्षेत्रीय अधिकारी/एकल खिड़की प्रभारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ...की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ ।

5 आईटी शाखा/गार्ड फाईल ।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-५, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

क्रमांक /स्था/प्रनिबो/2015 भोपाल,दिनांक

-: कार्यालय आदेश :-

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम,1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम,1981एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अधिसूचित संबंधित नियमों के अन्तर्गत सम्मति / प्राधिकार एवं उनके नवीनीकरण प्रदान करते समय सभी इकाईयों द्वारा प्रस्तुत स्वयं प्रमाणित दस्तावेज (Self Certification of Documents) मान्य किये जावेगे तथा विशेष परिस्थितियों को छोड़कर उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को संज्ञान में लेते हुये नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जावेगी ।

/
(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ0क्रमांक 865 /स्था/प्रनिबो/2015 भोपाल,दिनांक 20 APR 2015

प्रतिलिपि :-

1 प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर दिनांक 09/04/2015 को मुख्यमंत्री कार्यालय में **Ease of Doing Businss** के अन्तर्गत हुई समीक्षा बैठक के परिपालन में कृपया सूचनार्थ ।

2 निज सचिव, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

3 समस्त शाखा प्रभारी, ... म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ ।

4 समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/उपक्षेत्रीय अधिकारी/एकल खिड़की प्रभारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ...की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ ।

5 आईटी शाखा/गार्ड फाईल ।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-५, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

कमांक /स्था/प्रनिबो/2015 भोपाल,दिनांक

-: कार्यालय आदेश :-

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम,1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम,1981एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अधिसूचित संबंधित नियमों के अन्तर्गत किये जाने वाले इकाईयों के समय-समय पर किये जाने वाले निरीक्षण (Routine Inspection) व इसीप्रकार समय-समय पर की जाने वाली मानिटरिंग (Routine Monitoring) की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है । इसके स्थान पर रेन्डम इन्सपेक्शन व रेन्डम मानिटरिंग की व्यवस्था लागू की जाती है जिसमें लॉटरी सिस्टम के माध्यम से निरीक्षण व मानिटरिंग हेतु इकाईयों के नाम निकाले जावेंगे तथा तदनुसार निरीक्षण व मानिटरिंग का कार्य संपादित किया जावेगा ।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ0कमांक 867 /स्था/प्रनिबो/2015 भोपाल,दिनांक 20 APR 2015
प्रतिलिपि :-

1 प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर दिनांक 09/04/2015 को मुख्यमंत्री कार्यालय में **Ease of Doing Businss** के अन्तर्गत हुई समीक्षा बैठक के परिपालन में कृपया सूचनार्थ ।
2 निज सचिव, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3 समस्त शाखा प्रभारी, ... म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ ।
4 समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/उपक्षेत्रीय अधिकारी/एकल खिड़की प्रभारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ...की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ ।
5 आईटी शाखा/गार्ड फाईल ।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-५, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

क्रमांक /स्था/प्रनिबो/2015 भोपाल,दिनांक

-: कार्यालय आदेश :-

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम,1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम,1981एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अधिसूचित संबंधित नियमों के अन्तर्गत सम्मति / प्राधिकार एवं उनके नवीनीकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही ऑन लाईन प्रकिया ''नर्मदा एक्स.जी.एन.'' के माध्यम से संपादित की जा रही है । इस ऑन लाईन प्रकिया में कॉमन एप्लीकेशन व कॉमन इन्सपेक्शन का प्रावधान है । अतः जब भी किसी उद्योग/संस्थान का निरीक्षण किया जाये तो निम्नानुसार उल्लेखित सभी नियमों के प्रावधानों के तहत एक ही बार में पूर्ण रूप से कॉमन इन्सपेक्शन किया जावे ताकि सभी संबंधित जानकारियाँ एकबार में प्राप्त हो सके व ''नर्मदा एक्स.जी.एन.'' के माध्यम से साफ्टवेयर में अपलोड़ हो सके :-

1. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम,1974
2. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम,1981
3. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम,1977
4. जीव चिकित्सा अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हथालन) नियम,1998
5. परिसंकटमय अपशिष्ठ (प्रबंधन, हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम 2008
6. नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000
7. प्लास्टिक वेस्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम,2011

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ0कमांक 869 /स्था/प्रनिबो/2015 भोपाल,दिनांक 20 APR 2015

प्रतिलिपि :-

1 प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर दिनांक 09/04/2015 को मुख्यमंत्री कार्यालय में **Ease of Doing Businss** के अन्तर्गत हुई समीक्षा बैठक के परिपालन में कृपया सूचनार्थ ।

2 निज सचिव, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

3 समस्त शाखा प्रभारी, ... म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ ।

4 समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/उपक्षेत्रीय अधिकारी/एकल खिड़की प्रभारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ...की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ ।

5 आईटी शाखा/गार्ड फाईल ।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल